बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना– 800001

आयोग द्वारा सम्पन्न कराये गये साक्षात्कार में आरक्षित वर्ग की विवाहित महिलाओं द्वारा जमा किये गये पति के नाम से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र के संबंध में आवश्यक सूचना

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में विभागीय परिपत्र संख्या – 673, दिनांक 08.03.2011 जारी किया गया था तथा पत्रांक 11490 दिनांक 16.08.2012 द्वारा उसमें आवश्यक संशोधन किया गया था। हाल ही में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा "आरक्षण विषयक कुछ महत्वपूर्ण तथ्य" संबंधी आवश्यक सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी है। आयोग के स्तर पर अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित आवेदन पत्रों एवं समर्पित प्रमाण पत्रों के जाँच के क्रम में यह तथ्य उभर कर आया है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग कोटि की विवाहित महिला उम्मीदवारों द्वारा अपने पति के नाम से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति/जनजाति की विवाहित महिलाओं द्वारा पति के नाम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन कराया गया है, जबकि उपरोक्त उल्लिखित परिपत्र के अनुसार उक्त प्रमाण पत्र पिता के नाम से निर्गत होना अनिवार्य है।

तदालोक में आयोग द्वारा सम्पन्न कराये गये साक्षात्कार परीक्षाओं (56वीं से 59वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अन्तर्गत साक्षात्कार, दन्त चिकित्सक के पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार, विश्वविद्यालयों के विभिन्न विषयों के सहायक प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार सहित आयोग द्वारा सम्पन्न कराये गये अन्य साक्षात्कार, जिनका परीक्षाफल आयोग द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया है) में सम्मिलित वैसे सभी आरक्षित वर्गों की विवाहित महिला उम्मीदवारों को आयोग द्वारा एक अतिरिक्त एवं अन्तिम अवसर देते हुए इस सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे पिता के नाम निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग कोटि के उम्मीदवारों की दशा में) एवं जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के उम्मीदवारों की दशा में) दिनांक 06.08.2018 अथवा 07.08.2018 को आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी अनारक्षित कोटि में मान्य किया जायेगा एवं उक्त तिथि के पश्चात उनका आरक्षण का दावा अमान्य कर दिया जायेगा।

14.7.18

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना